74 21. सीपीएसई के लिए बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें एसीसी का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 25 अक्तूबर, 2007 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिसमें सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पदों के संबंध में अतिरिक्त प्रभार सौंपने की व्यवस्था के लिए सतर्कता निकासी संबंधी निम्नलिखित दिशा निर्देश विहित किए गए हैं:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तरीय पदों के अतिरिक्त प्रभार के लिए आरंभिक तीन माह की अवधि के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी से निकासी पर्याप्त होगी;

(ख) तीन माह से आगे की अवधि के आगे अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था को जारी रखने के लिए, मुख्य सतर्कता अधिकारी से निकासी अपेक्षित होगी; तथा

(ग) यदि यह व्यवस्था एक वर्ष से आगे भी जारी रहती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग से नई निकासी अपेक्षित होगी।

(घ) ऐसे मामलों में, जहां अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यकारी अधिकारी अथवा किसी मंत्रालय के अधिकारी को सौंपा गया है, मुख्य सतर्कता अधिकारी से निकासी पर्याप्त नहीं होगी और केंद्रीस सतर्कता आयोग से निकासी आवश्यक होगी।

2. उन बोर्ड स्तरीय पदाधिकारियों के पक्ष में, जिन्हें उसी संगठन के भीतर अतिरिक्त प्रभार अथवा उसी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के तहत किसी अन्य संगठन में अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना प्रस्तावित है, किसी सतर्कता निकासी मांगने संबंधी इस मुद्दे पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ विचार–विमर्श किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में अब से लोक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तरीय पदाधिकारियों के संबंध में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्थाओं के प्रयोजनार्थ आयोग से निकासी अपेक्षित नहीं है, यदि संबंधित विभाग के पास ऐसी सामग्री दखल में है जिसके आधार पर उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि सतर्कता की स्थिति बदल गई है जब से पदाधिकारी को बोर्ड स्तरीय नियुक्ति के लिए अंतिम निकासी दी गई थी। मुख्य सतर्कता आयोग से निकासी अपेक्षित बनी रहेगी जैसा पूववर्ती पैराग्राफ में विहित है।

3. पूववर्ती अनुदेश, जैसा पैरा 1 में उल्लेख किया गया है, ऐसे मामलों में भी लागू बने रहेंगे जहां केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के कार्यकारी निदेशक अथवा मंत्रालय से किसी अधिकारी को केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों में प्रबंधन निदेशक/मुख्य प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना प्रस्तावित है।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे कड़ाई से अनुपालन के लिए उपरोक्त निर्देशों का ध्यान रखें, कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती दें।

[डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(23)/2005–जीएम–जीएल–87 दिनांक 25 अक्तूबर, 2007]

*****